कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी

पत्रांक– 891 / जल जीवन मिशन /170 दिनांक– 06-06-2026

जिलाधिकारी महोदय वाराणसी की अध्यक्षता में जनपद–वाराणसी में आयोजित जल जीवन मिशन कार्यों की समीक्षा बैठक (दिनांक 21.05.2026) का कार्यवृत्त।

दिनांक 21.05.2026 को जनपद वाराणसी में जल जीवन मिशन के कार्यों की वर्चुवल समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के सचिव, समस्त सदस्य, जिला पंचायतीराज अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/यॉ0), उ0प्र0 जल निगम, वाराणसी तथा जल जीवन मिशन की कार्यदायी फर्म के परियोजना प्रबन्धक ने प्रतिभाग किया। अधिशासी अभियन्ता/सचिव, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी द्वारा सर्वप्रथम योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई–

1. **निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति–** अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी के द्वारा कार्यों की प्रगति से सम्बन्धित प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया गया। जल जीवन मिशन की पेयजल योजनाओं के संबंध में अवगत कराया गया कि कुल 531 पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 230 पेयजल योजनाओं का कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण है। 142 पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति 90 प्रतिशत से अधिक है, 78 पेयजल योजनाएं की प्रगति 75–90 प्रतिशत है, 57 पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति 50–75 प्रतिशत है तथा 24 पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति 50 प्रतिशत से कम है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि माह मार्च, 2026 तक रू0 67.00 करोड़ का भुगतान प्राप्त होने के बाद भी 90 प्रतिशत से अधिक भौतिक प्रगति की 142 पेयजल योजनाओं के कार्य दिनांक 15.06.2026 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। यदि 142 पेयजल योजनाओं के कार्य निर्धारित अवधि तक पूर्ण नही कराया जाता है तो फर्म के परियोजना प्रबन्धक के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि 142 पेयजल योजनाओं की सूची अधिशासी अभियन्ता से प्राप्त कर कन्ट्रोल रूम के माध्यम से यह सत्यापित कराये कि उक्त 142 पेयजल योजनाओं पर फर्म द्वारा प्रतिदिन कार्य कराया जा रहा अथवा नही।

(कार्यवाही अपेक्षितः– अधि0 अभि0, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) वाराणसी)/मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी।

2. **नियमित जलापूर्ति एवं जलापर्ण–** अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि 712 राजस्व ग्रामों में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी गयी है, जिसमें 422 ग्रामों में पूर्ण जलापूर्ति तथा 290 राजस्व ग्रामों में आंशिक जलापूर्ति की जा रही है तथा 165 पेयजल योजनाओं को अनुरक्षण एवं संचालन की श्रेणी में ले जाया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि अनुरक्षण एवं संचालन श्रेणी की 165 पेयजल योजनाओं में जलार्पण कार्यक्रम का आयोजन कर सम्बन्धित मा0 जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाय तथा मा0 प्रतिनिधियों को जल जीवन मिशन के अच्छे कार्यों का अवलोकन कराया जाय। इसके अतिरिक्त मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि अनुरक्षण एवं संचालन श्रेणी की 165 पेयजल योजनाओं की सूची पम्प आपरेटरों के नाम एवं मोबाईल नम्बर सहित प्राप्त कर ग्राम प्रधानों/सचिवों के माध्यम से सत्यापित कराये कि उक्त पेयजल योजनाओं से नियमित जलापूर्ति की जा रही अथवा नही।

(कार्यवाही अपेक्षितः– अधि0 अभि0, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) वाराणसी)/मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी।

3. **रोड रेस्टोरेशन–** अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि क्षतिग्रस्त की गई 2920 कि0मी0 सड़कों के सापेक्ष 2853 किमी0 सड़कों का स्थायी मरम्मत, 63 कि0मी0 सड़कों का अस्थाई मरम्मत करा दिया गया है तथा 4 कि0मी0 सड़को का मरम्मत शेष है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा सड़क मरम्मत से सम्बन्धित सूचना को अस्वीकार करते हुए निर्देशित किया गया कि अधिशासी अभियन्ता सड़क मरम्मत की जॉच अपने जू0ई0 के माध्यम से 10 दिन के अन्दर पुनः करा लें तथा सही सूचना पुनः प्रस्तुत करें। सत्यापन में पाई गई क्षतिग्रस्त मार्गों का मरम्मत कार्य प्रत्येक दशा में 15 जून, 2026 से पूर्व कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही अपेक्षितः– अधि0 अभि0, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) वाराणसी)/मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी।

4. **स्काडा एवं ऑटोमेशन–** पेयजल योजनाओं से हो रही नियमितत जलापूर्ति की मॉनिटरिंग के संबंध में अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0) खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि JJM पोर्टल पर सभी पेयजल योजनाओं से हो रही जलापूर्ति को लाइव देखा जा सकता है। जबकि बैठक के दौरान JJM पोर्टल पर पेयजल योजनाओं की जलापूर्ति चेक करने पर सभी नलकूप डिस्कनेक्ट दिख रहे थे तथा एक नलकूप लाइव दिख रहा था किन्तु उक्त लाइव नलकूप से प्राप्त सभी डाटा शून्य थे। अधोहस्ताक्षरी द्वारा पोर्टल के माध्यम से मॉनिटरिंग सिस्टम को सही कराने का निर्देश दिया गया तथा आगामी बैठकों में भी उक्त बिन्दु को बैठक के एजेण्डा को सम्मिलित करने का निर्देश दिया गया।

(कार्यवाही अपेक्षितः– अधि0 अभि0, खण्ड कार्यालय (वि0/यॉ0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) वाराणसी)/मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी।

5. **पेयजल योजनाओं के निर्माण/संचालन से सम्बन्धित समस्याएं–** अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि चोरी, अन्य विभागों द्वारा क्षतिग्रस्त पाइप लाइन, लम्बित एन0ओ0सी0 एवं भूमि विवाद के कारण कई पेयजल योजनाओं के कार्य बाधित है–

(क) उपकरणों की चोरी– 131 पेयजल योजनाओं से सोलर पैनल, बैटरी तथा केबिल चोरी होने की घटनाएं हुई है, जिसमें से 93 योजनाओं पर उपकरणों का पुनः अधिष्ठापन कर योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। चोरी की घटनाएं बढ़ने के कारण योजनाओं का संचालन प्रभावित हो रहा है। उक्त के संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी पेयजल योजनाओं पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा अधिष्ठापित करायें।

(कार्यवाही अपेक्षितः– अधि0 अभि0, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) वाराणसी)/परियोजना प्रबन्धक मे0 एल0एण्ड0टी0, वाराणसी।

(ख) अन्य विभागों द्वारा क्षतिग्रस्त पाइप लाइन– लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, वन विभाग, सिचाई विभाग, पंचायती विभाग एवं सेतु निगम द्वारा 100 योजनाओं से सम्बन्धित 76.5 कि0मी0 पाइप लाइन क्षतिग्रस्त कर दिया गया है जिसके कारण 2000 गृह संयोजन प्रभावित हुये है। वर्तमान में सबसे अधिक पेयजल पाइप लाइन ग्राम पंचायतों में पंचायतीराज विभाग द्वारा बिछायी जा रही सीवर लाइन/नाली निर्माण के कारण क्षतिग्रस्त हो रही है, जिससे नियमित जलापूर्ति प्रभावित हो रही है तथा योजनाओं पर अतिरिक्त व्यय हो रहा है। उक्त के संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित विभाग को क्षतिग्रस्त भाग का प्राक्कलन भेजकर धन की मांग की जाय तथा ग्राम पंचायतों में सीवर लाइन बिछानें के दौरान क्षतिग्रस्त पाइप लाइन से सम्बन्धित फर्म के विरूद्ध पेनाल्टी लगाकर वसूली की जाय।

(कार्यवाही अपेक्षितः– अधि0 अभि0, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) वाराणसी)/जिला पंचायतीराज अधिकारी, वाराणसी।

(ग) पेयजल योजनाओं के एप्रोच मार्ग– 27 पेयजल योजनाओं के पहुॅच मार्ग विवादित होने के कारण मेन पाइप लाइन बिछाने तथा आवागमन मे बाधा उत्पन्न हो रही है। 18 प्रकरण तहसील राजातालाब, 04 प्रकरण तहसील

सदर, 05 प्रकरण तहसील पिण्डरा से सम्बन्धित है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि विवादित स्थलों की सूची सम्बन्धित उप जिलाधिकारी को उपलब्ध कराकर विवाद का निस्तारण करायें।

कार्यवाही अपेक्षितः– अधि0 अभि0, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) वाराणसी)/उप जिलाधिकारी, सदर, राजातालाब, पिण्डरा, वाराणसी।

(घ) विद्युत विभाग से सम्बन्धित लम्बित प्राक्कलन– 50 पेयजल योजनाओं पर सोलर पैनल के स्थान पर विद्युत संयोजन का प्राविधान किया गया है। 50 योजनाओं के सापेक्ष 21 योजनाओं से सम्बन्धित विद्युत संयोजन का प्राक्कलन विद्युत विभाग से प्राप्त हुआ है, जिसमें 18 योजनाओं पर विद्युत संयोजन का कार्य कराया जा रहा है। शेष 29 योजनाओं से सम्बन्धित प्राक्कलन प्राप्त होना लम्बित है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि 29 योजनाओं की सूची उपलब्ध कराते हुए विद्युत विभाग को पत्र प्रेषित किया जाय तथा आगामी बैठकों में विद्युत विभाग से सम्बन्धित अधिकारियों को भी प्रतिभाग करने हेतु सूचित किया जाय।

कार्यवाही अपेक्षितः– अधि0 अभि0, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) वाराणसी)/अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत विभाग, वाराणसी।

6. **पुरानी पेयजल योजना–** जल निगम की पुरानी 63 पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण एवं संचालन मे0 जी0ए0इन्फ्रा द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में 62 पेयजल योजनाओं से नियमित जलापूर्ति की जा रही है। उक्त के संबंध में निर्देशित किया गया है कि ग्रीष्मकाल में नियमित जलापूर्ति में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, उत्पन्न समस्या का तत्काल निराकरण कराकर जलापूर्ति जारी रखा जाय।

कार्यवाही अपेक्षितः– अधि0 अभि0, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) वाराणसी)/ मे0 जी0ए0इन्फ्रा, वाराणसी।

7. **स्रोत स्थिरता रिर्पोट का अनुमोदन–** अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/यॉ0), उ0प्र0 जल निगम द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के समक्ष जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्मित जल स्रोतो के आगामी 30 वर्षों तक स्थिर बने रहने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें सभी जल स्रोत 30 वर्षों तक स्थिर पाये गये। अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/यॉ0), उ0प्र0 जल निगम, वाराणसी को निर्देशित किया गया कि उक्त रिपोर्ट की जॉच/चर्चा मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष भू–गर्भ विभाग के अधिकारियों के साथ की जाय।

कार्यवाही अपेक्षितः– अधि0 अभि0, खण्ड कार्यालय (वि0/यॉ0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) वाराणसी)/ अधिशासी अमियन्ता, भूगर्भ विभाग,/मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

(सत्येन्द्र कुमार)
जिलाधिकारी

पृ0सं0 एवं दिनांक– उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी।
2. उप जिलाधिकारी, सदर, राजातालाब, पिण्डरा, वाराणसी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 विद्युत कारपोरेशन लिमिटेड, वाराणसी।
4. जिला विकास अधिकारी, वाराणसी।
5. जिला पंचायतीराज अधिकारी, वाराणसी।
6. अधिशासी अभियन्ताा, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
7. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/यॉ0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
8. अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ विभाग, वाराणसी।

जिलाधिकारी